न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 17 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. चनणसिंह उर्फ चन्दनसिंह पुत्र सादुलसिंह जाति राजपूत निवासी कुबडियां तहसील शिव जिला बाड़मेर के विधिक वारिशान 1/1मोरकंवर पत्नी चन्दनसिंह उर्फ चनणसिंह 1/2मोतीसिंह पुत्र चन्दनसिंह उर्फ चनणसिंह 1/3तेजमालसिंह पुत्र चन्दनसिंह उर्फ चनणसिंह 1/4 इन्द्रसिंह पुत्र चन्दनसिंह उर्फ चनणसिंह 1/5 उदयसिंह पुत्र चन्दनसिंह उर्फ चनणसिंह 1/6सुमेरसिंह पुत्र चन्दनसिंह उर्फ चनणसिंह जातियान राजपूत निवासीयान कुबडिया तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर	1. अणदाराम पुत्र सुखराम जाति जाट ,निवासी जैसार तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 2. श्रीमान तहसीलदार गडरारोड़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री रोशनलाल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–14.02.2024

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए

14.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आलौच्य आदेश की अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी की तरमीम अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 के वास्तविक कब्जे काश्त अनुसार हो रखी है। किन्तु वाद में उतरदाता संख्या 01 द्वारा उपखण्ड अधिकारी गंडसरोड न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 104 के सन्दर्भ में हो रखी सही तरमीम को निरस्त कर कब्जे के विपरित आलोच्य विभाजन प्रस्ताव के अनुसार तरमीम दुरस्त करने का निवेदन किया है चुकि अपीलांट के पिता चन्दनसिंह ग्रामीण परिवेश के अनपढ व्यक्ति थे जिन्हे राजस्व अधिकारियों के द्वारा किये गये इन्द्राज की जानकारी नहीं थी। चन्दनसिंह का देहान्त होने पर अपीलांट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ तत्पश्चात तरमीम आवेदन पेश होने पर उक्त आवेदन के विचारण के दोरान अपीलांट को आलोच्य अंतिम डिक्री की जानकारी हुई जिस पर अपीलांट द्वारा आलोच्य निर्णय व डिक्री पर्चा की नकले ली गई किन्तु इस मध्य कोरोना महामारी के चलते देशव्यापी लोकडाउन हो जाने के कारण एवं वर्तमान में भी दिनांक 05.02.2022 तक लोकडाउन प्रभावी होने से अपीलांट आलोंच्य अंतिम निर्णय व डिक्री पर्चा की अपील पेश नहीं कर पाये किन्तु अब अपने अधिवक्ता के निर्देशों अनुसार यह अपील श्रीमान के सक्षम जानकारी की अवधि से एक माह के भीतर पेश कर रहा है। सम्पूर्ण कार्यवाही का ज्ञान हुआ ऐसी स्थिति में उक्त अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण को तकनीकी बिंदुओं पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अपील के तथ्योनुसार एवं प्रकरण के तथ्योनुसार नरमाई का रूख रखते हुए। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की फरमाई जावे।

14.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्तागण रेस्पोडेंटस ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलकर्ता ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2004 के विरूद्ध दिनांक 04.02.2022 को यानि तकरीबन 18 वर्ष के बाद बेबुनियाद आधारों पर यह अपील पेश की है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को वास्तविक जानकारी दिनांक 07.02.2004 को हो गई थी, क्योंकि इस वाद की पूरी प्रक्रिया की जानकारी अपीलांटस को रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई उस पर अपीलांटस के हस्ताक्षर है। अपीलांटस द्वारा जिस निर्णय व डिक्री की प्रति अपील के साथ पेश की गई वो दिनांक 14.03.2018 को जारी की गई उस समय कोई कोराना माहामारी नहीं थी। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले प्राप्त होने के पश्चात भी हस्तगत अपील को अन्दर मियाद पेश नहीं किया गया। उभयपक्षकारान के मध्य गलत तरमीम के संबंध में मातहत अदालत में विवाद चला उस समय भी अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें अपीलांटस/वादी के वकील ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की है। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर

15.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2007(2) Page 939
RRT 2009-10(Supp.) Page 535
RRT 2011(1) Page 614
RLW 2007(1) Page 552
DNJ 2016(1) Page 201
RRT 2010(2) Page 801
RRD 2006 Page 366

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2004 को हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से सम्मन जारी किया गया जिस पर अपीलांटस स्वयं की व्यक्तिगत तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उस विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटस स्वयं के हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस/वादी के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव पर वक्त बहस सहमति जाहिर की तत्पश्चात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटस द्वारा अपील पत्रावली के साथ पेश अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले दिनांक 14.03.2018 को जारी की गई। उपरोक्त तथ्य को अपीलांटस द्वारा छिपाया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष पेश राजस्व आवेदन संख्या 115/2018 में अपीलांटस द्वारा पेश जबाव एवं प्रार्थना–पत्र में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का उल्लेख किया गया है, उसके बावजूद भी अपील पेश करते वक्त उपरोक्त तथ्यों को छुपाया गया। मूल प्रकरण में निर्णय पारित होने के बाद लगभग 18 वर्ष की एक लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने पर हस्तगत मामला पेश किये जाने के फलस्वरूप प्रथमतः हस्तगत अपील मियाद से बाधित होना प्रकट

14.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

होता है। प्रकरण में कारित विलम्ब को क्षमा किए जाने बाबत प्रार्थी ने भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना–पत्र में जिन कारणों का उल्लेख किया है, उनका अध्ययन किया गया। बाद अध्ययन न्यायालय का निष्कर्ष है कि धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में अत्यधिक विलम्ब कारित करने के उल्लेखित कारण ऐसे प्रकट नहीं होते है जिन्हें सद्भावी व पर्याप्त मानकर उनके आधार पर 18 वर्ष की एक लम्बी मियाद को क्षम्य किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्य स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से मामले में अत्यन्त भारी रूप से कारित विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होते है। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 18 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है।

14.2.24
(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर